

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 406/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 23.10.2026

थाना- कोतवाली, जनपद आजमगढ़

- ☐ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं ब्लैकमेल कर धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।
- ☐ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को रोडवेज से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22.10.2026 को थाना कोतवाली पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त विशाल विक्रम सिंह द्वारा शादी का झांसा देकर लगभग दो वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने तथा अपनी शादी की बात छिपाने का आरोप लगाया गया। अभियुक्त की शादी की जानकारी होने पर दूरी बनाने की कोशिश करने पर ब्लैकमेल कर धमकी देने के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 551/2026, धारा 69/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 22.10.2026 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज, मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त विशाल विक्रम सिंह पुत्र बद्रीनाथ सिंह, निवासी ग्राम लौदह इमादपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र 37 वर्ष को रोडवेज से समय 15:05 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

विशाल विक्रम सिंह पुत्र बद्रीनाथ सिंह, निवासी ग्राम लौदह इमादपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र 37 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 551/2026, धारा 69/351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज।
2. हे0का0 अभय कुमार सिंह।
3. का0 मनीष सिंह।
4. का0 जशवन्त चौहान, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना- देवगांव, जनपद आजमगढ़

☐ थाना देवगांव पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ गिरफ्तार अभियुक्त अकरम के विरुद्ध सुल्तानपुर जनपद में चोरी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट सहित पूर्व के कई अभियोग पंजीकृत।

घटना का विवरण:-

दिनांक 23.10.2026 को उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय, चौकी प्रभारी लालगंज, मय हमराह पुलिसकर्मियों के क्षेत्र में देखभाल एवं चेकिंग के दौरान टीकरगढ़ में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कबाड़ का कार्य करने वाला एक व्यक्ति पिकअप वाहन से गंभीरपुर की तरफ से अवैध असलहा लेकर मेहनगर की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बेसो नदी पुलिया पर वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस को देखकर पिकअप सवार व्यक्ति वाहन रोककर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा मौके पर पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी:-

पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अकरम पुत्र मो0 निसार निवासी रजवाड़े रामपुर, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर बताया। जामा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 366/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

अकरम पुत्र मो0 निसार निवासी रजवाड़े रामपुर, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी:-

01 अदद देशी तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 520/2022, धारा 379/411 भादवि, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।
2. मु0अ0सं0 12/2023, धारा 379/411 भादवि, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।
3. मु0अ0सं0 18/2023, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।
4. मु0अ0सं0 20/2023, धारा 401 भादवि, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।
5. मु0अ0सं0 195/2023, धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।
6. मु0अ0सं0 366/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय, चौकी प्रभारी लालगंज, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अवधेश कुशवाहा, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
3. का0 सूर्यकान्त तिवारी, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
4. का0 नीरज चौरसिया, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

थाना- फूलपुर, जनपद आजमगढ़

□ साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के ₹60,000/- वापस कराए गए।

□ फर्जी बैंक कस्टमर केयर बनकर क्रेडिट कार्ड चालू कराने के नाम पर की गई थी ठगी।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.06.2026 को आवेदक प्रमोद यादव पुत्र गजराज यादव निवासी कौड़िया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर स्वयं को ICICI बैंक का कस्टमर केयर बताकर क्रेडिट कार्ड चालू करने के नाम पर उनके बैंक खाते से ₹60,000/- का साइबर फ्रॉड कर लिया गया। आवेदक द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं <https://cybercrime.gov.in/> पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका शिकायत संख्या 23106260109154 है।
पुलिस की कार्यवाही:- साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गई ₹60,000/- की धनराशि को संबंधित खाते में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए होल्ड धनराशि ₹60,000/- आवेदक के बैंक खाते में नियमानुसार वापस करा दी गई।
साइबर सुरक्षा अपील:- किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाते एवं क्रेडिट/डेबिट कार्ड से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा न करें। साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा <https://cybercrime.gov.in/> पर शिकायत दर्ज कराएं।

थाना सिधारी, आजमगढ़

बरामदगी 2,41,500 रुपये व चुनाव प्रचार पम्पलेट, हैण्डबिल, वोटर सूची, व गिरफ्तारी चार नफर अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 431/26 अन्तर्गत धारा 173 बीएनएस व 123(1) लोक प्रतिनिधित्व अधि0 1951 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आज दिनांक 22.10.2026 को श्री अविनाश गौतम उपजिलाधिकारी सदर आजमगढ़ के नेतृत्व में फ्लाईंग स्कवाड टीम / उड़न दस्ता दल के द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए गोरखपुर फैजाबाद खण्ड शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 में लागू आदर्श आचार संहिता के अनुपालनार्थ गठित एफ0एस0टी0/ उड़न दस्ता के प्रभारी के रूप में दौलतपुर पुलिया पर मौजूद होकर सदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान KIA SELTOS, UP54AX2379 बरंग सफेद में सवार 04 व्यक्तियों को पकड़ा गया। तलाशी से वाहन की बीच वाली सीट पर कुल 05 अदद झोला सफेद रंग का जिस पर गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र व प्रबन्धक का नाम अंकित पाया गया सभी झोलों को खोल कर चेक करने पर भारी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री, वोटर स्लिप, बैलेट पेपर प्रतिरूप, हैण्ड बिल, विभिन्न अध्यापकों की सूची बरामद हुआ। पकड़े गये चारों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास जो भी सामग्री यथा पैसा व प्रचार से सम्बन्धित पम्पलेट, हैण्डबिल, विभिन्न विद्यालयों के मतदाता सूची मिली है हम लोग रुपये लिफाफा में रखकर बांटने जा रहे थे। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 431/26 अन्तर्गत धारा 173 बीएनएस व धारा 123(1) लोक प्रतिनिधित्व अधि0 1951 पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

हिरासत में लिये गये व्यक्ति:-

1. सुभाष सिंह पुत्र स्व0 श्रीपत सिंह निवासी करमी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
2. राजेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 त्रिभुवन नाथ पाण्डेय निवासी कस्बा सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. शिवमोहन सिंह पुत्र स्व0 विवेकानन्द सिंह निवासी समेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. शिवगोविन्द सिंह पुत्र बद्रीनाथ सिंह निवासी करमी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 2,41,500 रुपया नगद
- 2- भारी मात्रा में प्रचार सामग्री
- 3- वाहन KIA SELTOS, UP54AX2379
- 4- मोबाईल इस्तेमाली कुल - 04 अदद